प्रकरण संख्या 12/2020 वरसेंग व अन्य बनाम लसु व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 2, 3 के दादा श्री खेतिया के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी नंबर 1168/94 रकबा 7 बीघा ग्राम सालिया, तहसील गांगड़ तलाई, जिला बांसवाड़ा में स्थित होकर खेतिया जी काबिज होकर काश्त करते थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 16.05.2002 को हो गयी तब से वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व उनके पिता पूना स्वर्गीय खेतिया के वारिस नहीं हैं, न ही उनका कब्जा रहा है, फिर भी वह वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। उक्त साबिक आराजी नंबर के हाल आराजी नंबर 275, 276, 355, 357, 366/2887 कायम हुए। खेतिया की मृत्यु पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने आपको खेतिया का वारिस व उत्तराधिकारी बताकर नामान्तरकरण संख्या 523 दिनांक 25.10.2001 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जो वादीगण के हक अधिकारों के विपरीत होकर प्रभाव शून्य है। उक्त अवैध नामान्तरकरण की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली तथा दिनांक 02.07.2012 को वाद वर्णित सर्वे नंबर 275 रकबा 0.42 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया है तथा दिनांक 30.03.2016 को इसी सर्वे नंबर में से 0.03 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 को अंतरित कर दिया है। इसी प्रकार आराजी नंबर 355 रकबा 0.13 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को दिनांक 30.06.2014 को विक्रय कर दिया, जो वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर हैं। उक्त विक्रय पत्रों की आड़ में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः आराजी नंबर 1168/94 रकबा 7 बीघा से बने हाल आराजी नंबर 275, 276, 355, 357, 366/2887 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 24.05.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने यह अपील इस न्यायालय में	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:08 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 08.10.2020 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र गांधी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभी मार्च 2020 में अपीलान्ट अपने खेतों में फसल कटाई कर रहा था, जो रेस्पोन्डेन्ट ने आकर झगड़ा किया तथा बताया कि जमीन हमारे नाम हो गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई युक्ति–युक्त कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि वादीगण ने गलत नामान्तरकरण स्वीकृत होना बताकर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है, जबकि नामान्तरकरण को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही वादीगण द्वारा नहीं की गयी है तथा पत्रावली लोक अदालत में रखे जाने की अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गयी तथा बिना सहमति के अपीलान्टगण के अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। आदेशिका दिनांक 20.04.2017 अनुसार सभी वादीगण उपस्थित थे, जबकि आदेशिका में लिखा की सभी वादीगण उपस्थित नहीं। उक्त आदेशिका में पेशी दिनांक 25.05.2017 नियत की गयी, किन्तु बिना कोई सूचना दिये इससे पूर्व में प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:08 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2016-17 (Supp.) Page 556, RRT 2001 (2) Page 1109, RRT 2004 (1) Page 374, RRD 2017 Page 534 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। वादीगण का कथन है कि नामान्तरकरण गलत स्वीकृत हुआ है, किन्तु उसकी कोई अपील वादीगण द्वारा नहीं की गयी है। आदेशिका दिनांक 20.04.2017 में सभी वादीगण की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं, जबकि आदेशिका में लिखा की सभी वादीगण उपस्थित नहीं। इसके अलावा उक्त आदेशिका दिनांक 20.04.2017 अनुसार प्रकरण में पेशी दिनांक 25.05.2017 नियत की गयी थी, लेकिन इसके एक पूर्व ही दिनांक 24.05.2017 को प्रकरण लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जबकि प्रकरण में पक्षकारों में किसी प्रकार की सहमति नहीं थी। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके अनुसार लोक अदालत में एकपक्षीय निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 1/2017 निर्णय एवं डिक्री 24.05.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 19.05.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:08 IST
Reason: SelfAttested